न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– दिनेश कुमार यादव, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –108/2018

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेण्ट
दुर्गाराम पुत्र मोतीराम जाति जाट निवासी हथेली तहसील परबतसर जिला नागौर		राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार भकरी मौलास तहसील परबतसर जिला नागौर

उपस्थितिः–

1. अपीलाण्ट की ओर से वकील श्री भंवरलाल पोटलिया।
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।

निर्णय दिनांक 31-01-2019

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत नायब तहसीलदार, भकरी द्वारा मुकदमा नम्बर 03/2018 सरकार बनाम दुर्गाराम अधीन धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक 04.09.2018 से असंतुष्ट होकर दिनांक 24.09.2018 को प्रस्तुत की। अपील दर्ज रजिस्टर अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकुलाय की बहस सुनी। वकील अपीलाण्ट ने अपील में किये गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि नायब तहसीलदार भकरी मौलास ने अपीलांट को खसरा नम्बर 132 किस्म जमीन बारानी 4 रकबा 0.02 हैक्टेयर भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण मानकर अपीलांट को खसरा नम्बर 132 रकबा 0.02. हैक्टेयर वाके सरहद मौजा हथेली से बेदखली का आदेश पारित कर 5/–रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिनांक 04.09.2018 को पारित किया। उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

निर्णय जैर अपील खिलाफ कानून तथ्यों व परिस्थितियों के विरूद्ध साक्ष्य व रेकर्ड के विरूद्ध तथा मौके की स्थिति के विरूद्ध होने के अतिरिक्त प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 23.08.2018 को प्रकरण दर्ज कर दिनांक 04.09.2018 को मुझ अपीलांट को तलब करने का आदेश पारित किया एंव दिनांक 04.09.2018 की पेशी का मुझ अपीलांट का कोई नोटिस तामिल नहीं हुआ एंव मात्र यह लिख दिया गया कि अप्रार्थी की ओर से भाई स्वंय उपस्थित होकर किसी प्रकार का जवाब व साक्ष्य पेश नहीं किये, का अंकन कर बिना नोटिस तामिल करवाये, एक तरफा में ही निर्णय जैर अपील पारित कर दिया, जो सामान्य न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से निर्णय जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है। ना ही आदेशिका पर अपीलांट के भाई के हस्ताक्षर है, सम्पूर्ण कथन गलत अंकित कर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है।

खसरा नम्बर 132 रकबा 0.02 हैक्टेयर पर अपीलांट का पीढियों पुराना बाडा बना हुआ है एंव अपीलांट काश्तकार है। उक्त बाडे में अपीलांट पीढियों से अपना पशुधन एंव चारे का स्टॉक करता चला आया है। उक्त भूमि आबादी भूमि के चिपती हुई एवं किस्म जमीन भी बारानी 4 है। जिससे राज्य सरकार के नियमानुसार अपीलांट को 05 बिस्वा तक भूमि शुल्क एंव 05 बिस्वा की नियमानुसार दर ली जाकर 10 बिस्वा भूमि तक नियमन की जानी चाहिए थी

कलक्टर, नागौर

लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने बिना जवाब लिये, बिना साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही निर्णय जैर अपील पारित कर दिया, जो विधि विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है। 1977 से लगातार जिन काश्तकारों के पशुधन रखने के लिये बाडा नहीं है अथवा गांव में मकान नहीं है एंव जो भूमि प्रतिबंधित भूमि नहीं है। उक्त भूमि में बाडा अथवा मकान की भूमि नियमन करने के प्रावधान आज दिन तक विधमान है। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने सरकारी नियमों एंव सर्कुलर पर गौर किये बिना ही एंव अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही निर्णय जैर अपील पारित कर दिया जो अपास्त किये जाने योग्य है।

भूमि आबादी भूमि के चिपती है एंव प्रार्थी का बाडा पीढियों पुराना है, उक्त बाडे के पास में गणेशाराम, दीनाराम, धन्नाराम व देवाराम का इसी खसरे में बाडा व मकान बना हुआ है, अन्य कई काश्तकारों के भी इस स्थान पर बाडे व मकान बने हुए है। धन्नाराम सरकारी अध्यापक है एंव धन्नाराम ने षडयंत्र रचकर सम्पूर्ण भूमि को अपने कब्जे में लेने के उद्देश्य से मुझ अपीलांट को पटवारी हल्का से मिलावट कर नोटिस जारी करवाकर निर्णय जैर अपील पारित करवाया है एंव मुझ अपीलांट को जवाबदेही एंव शहादत सुनवाई का अवसर दिये बिना उक्त स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। जिससे निर्णय जैर अपील एकतरफा में पारित कर दिया गया है। जिससे भी मुझ अपीलांट को शहादत सुनवाई का अवसर देकर निर्णय जैर अपील अपास्त कर पुनः निर्णय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये जाने के आदेश पारित किया जाना न्यायसंगत है।

प्रकरण में मुझ अपीलांट को पटवारी हल्का के नोटिस के आधार पर ही निर्णय जैर अपील पारित किया है। पटवारी हल्का के बयान तक नहीं लिये, न ही अपीलांट को पटवारी हल्का से जिरह करने का अवसर दिया। जिससे मात्र पटवारी हल्का के एक नोटिस के आधार पर इस तरह का निर्णय जैर अपील पारित किया जाना कतई पारित किया जाना न्यायसंगत नहीं है।

निर्णय जैर अपील के नोटिस के प्रारूप क नियम 3 साईक्लोस्टाइल है एंव इसमें पूर्व तिथि 30.08.2018 लिखी गई है। उसे काटकर 04.09.2018 लिखा गया है तथा इसी प्रकार निर्णय जैर अपील भी प्रिन्टेड फार्म में पेन से खाली जगह भरकर साईक्लोस्टाइल प्रारूप में खानापूर्ति की गई है। किसी प्रकार के विस्तृत तथ्य अभिवचनित नहीं किये गये है, जिससे भी निर्णय जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

मातहत न्यायालय में निर्णय पारित करते समय अत्यन्त ही जल्दी एंव हडबडी रखते हुए निर्णय पारित किया है क्योंकि वर्तमान प्रकरण में ना तो अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिया गया है व न ही जवाब हेतु अवसर दिया गया, मात्र जल्दबाजी पूर्वक अपीलांट को बेदखली करने के उद्देश्य से यह निर्णय जैर अपील पारित किया है। जिससे भी आदेश जैर अपील खारिज किये जाने योग्य है। मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शें में पटवारी हल्का द्वारा यह कहीं भी अंकन नहीं किया गया है कि अपीलांट ने किसी दिशा में, कितने भू–भाग पर अतिक्रमण किया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलांट के विरूद्ध की गई कार्यवाही सरसरी तौर पर की गई है।

अपीलांट काश्तकार है एंव अपीलांट के इस बाडे के अलावा अन्य कोई पशुधन रखने अथवा पशुओं का चारा वगैरा रखने का स्थान नहीं है, एक तरफा निर्णय जैर अपील की आड में अपीलांट को बेदखल किये जाने से अपीलांट का पशुधन गवाड में आ जायेगा एंव उसके चारा के स्टॉक का भी कोई स्थान नहीं रहेगा। निर्णय जैर अपील एकतरफा में ही पारित होने से विधि विरूद्ध है। किस्म जगीन भी बारानी 4 होने का कथन करते हुऐ वकील अपीलान्ट ने अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार भकरी मौलास द्वारा धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में प्रकरण संख्या 03/2018 दुअनवान सरकार बनाम दुर्गाराम में आदेश दिनांक 04.09.2018 को अपास्त किया जाकर अपीलांट की अपील

स्वीकार की जाकर इस निर्देश के साथ अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड की जावे कि अपीलांट को शहादत सुनवाई का अवसर देकर पटवारी हल्का व अपीलांट की साक्ष्य ली जाकर निर्णय जैर अपील पारित करने का निवेदन किया।

राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा ने अपनी बहस में वकील अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुऐ कथन किया की अपीलांट द्वारा ग्राम हथेली के खसरा नम्बर 132 किस्म भूमि बारानी 4 के रकबा 0.02 हैक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण करने के संबंध में भू–अभिलेख निरीक्षक बागोट से जॉच शुदा पटवारी हल्का बरेव की रिपोर्ट से अपीलान्ट का उक्त अतिक्रमण साबित है। उक्त संबंध में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर अपीलान्ट के भाई से तामील है। अपीलान्ट का भाई अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है। अपीलान्ट द्वारा वादग्रस्त भूमि पर पुराना कब्जा होने के संबंध में भी अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। राजपैरोकार ने न्यायिक दृष्टान्त निगरानी/एल.आर./2885/2006/ नागौर मूलनाथ बनाम सरकार मा0 राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 24.04.2017 की प्रति प्रस्तुत कर कथन किया की धारा 91 की कार्यवाही में पुराने कब्जे के आधार पर नियमन के संबंध में किसी प्रकार का अनुतोष नहीं दिया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को पूर्ण सुनवाई आदि का अवसर प्रदान कर जैर अपील पारित किया गया है, जो सही होने का कथन करते हुऐ अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण अपीलांट द्वारा ग्राम हथेली की खसरा नम्बर 132 किस्म भूमि बारानी 4 के रकबा 0.02 हैक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण करने के संबंध में भू–अभिलेख निरीक्षक बागोट से जॉच शुदा पटवारी हल्का बरेव की रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत होने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण दर्ज कर अपीलान्ट को जारी नोटिस पर अपीलान्ट के भाई कानाराम की तामील है, नोटिस पर अंकित रिपोर्ट अनुसार जो शामिल मकान में निवास करता है। इस प्रकार प्रकरण में तामील पर्याप्त है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 04.09.2018 के अनुसार उक्त दिनांक 4.9.2018 को अपीलान्ट भाई कानाराम अधिनस्थ न्यायालय उपस्थित हुआ है, परन्तु उसके द्वारा कोई जबाब आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि पर नायायज अतिक्रमण किया है। अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमण नहीं किये जाने के संबंध में कोई साक्ष्य अथवा दस्तावेज भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलान्ट द्वारा वादग्रस्त भूमि पर पुराना कब्जा होने के संबंध में भी अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। उक्त संबंध में राजपैरोकार द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत में स्पष्ट उल्लेखित किया गया है कि जहां तक पुराने कब्जे के आधार नियमन का प्रश्न है, तो धारा 91 की कार्यवाही में पुराने कब्जे के आधार पर नियमन के संबंध में किसी प्रकार का अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को पूर्ण सुनवाई आदि का अवसर प्रदान कर जैर अपील पारित किया गया है, जो विधि सम्मत होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खींवसर को उनकी मूल पत्रावली प्राप्त होने पर निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर, नागौर